

कमांक-न्याय/2018/ 7299

दिनांक: 20.12.2018

-: आदेश :-

पुलिस अधीक्षक झालावाड़ ने पत्र सं० सीबी/विधि/झाला/18/39808-09 दिनांक 12.12.2018 से पुलिस थाना खानपुर के अभियोग सं० 428/18 धारा 3/25, आर्म्स एक्ट में अभियुक्त मोहन लाल पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 13.08.18 को श्री बलवान सिंह हैड कानि० 791 मय जाप्ता वास्ते गश्त ईलाका व चैकिंग अवैध कार्य की रोकथाम हेतु सारोला रोड पहुंचकर नाकाबंदी प्रारम्भ की। दौराने नाकाबंदी कस्बा खानपुर की तरफ से एक व्यक्ति पैदल चलता हुआ नजर आया जो पुलिस जाप्ते को बावर्दी देखकर भागने लगा, जिसको हमराही जाप्ते की मदद से रोका, नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहन लाल पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ बताया। जिसके पास अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर तलाशी ली तो पहनी हुई पेंन्ट के सामने कमर मे देशी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस मिला, जिसको अपने कब्जे मे रखना या परिवहन करने के संबध मे अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। मौके पर विधि सम्मत कार्यवाही कर वापसी थाने पर अपराध सं० 428/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजिबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसन्धान निरीक्षण घटना स्थल फरियादी व गवाहन के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान से अभियुक्त के विरुद्ध 3/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाया गया। उक्त जप्तशुदा एक देशी पिस्टल एवं एक जिंदा कारतूस का आर्मारर पुलिस लाईन द्वारा मेकेनिकल मुआयना करवाये जाने पर उन्होने अपनी रिपोर्ट मे एक देशी पिस्टल 7.65 एमएम फायर करने योग्य तथा फायर आर्म्स की जद मे आती है तथा एक जिंदा कारतूस एम्युनेशन की परिभाषा मे आता है। अभियुक्त के पास अनुज्ञापत्र होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र मारु एसआई व आर्मारर पुलिस लाईन श्री यशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सीलड एक देशी पिस्टल एवं एक कारतूस को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मारर की सील से सीलड करवाया गया। जल्ती रिपोर्ट एवं आर्मारर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मारर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एवं अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त मोहन लाल पुत्र कालूलाल जाति गुर्जर उम्र 34 साल निवासी झिकडिया थाना घाटोली जिला झालावाड़ के विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ० जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड़